

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

आ दे श


कमांक 46 / दो-11-01 / 2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक 21 जनवरी, 2025

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पन्द्रहवें/सोलहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की पदस्थापना किए जाने के फलस्वरूप स्थानांतरण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 21.01.2025 से सहमत होते हुए प्रशासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण का स्थानांतरण किया जाकर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को	रिमांक
1	श्री पुष्पेन्द्र वर्मा, भृत्य	नजारत अनुभाग रीवा	बोर्ड प्यून, न्यायालय सोलहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा (श्री यशपाल सिंह) के न्यायालय में	नवीन न्यायालय
2	श्रीमती फूलकुमारी मिश्रा, भृत्य	अंतरमण्डलीय स्थानांतरण जिला स्थापना नीमच से	अटैच, नजारत अनुभाग रीवा	
3	श्री अखिलेश यादव, भृत्य	अटैच, नजारत अनुभाग, रीवा	बोर्ड प्यून, न्यायालय ग्यारहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा (श्री दिलीप सिंह) के न्यायालय में	श्री रावेन्द्र मिश्रा के स्थान पर
4	श्री रावेन्द्र मिश्रा, भृत्य	बोर्ड प्यून, न्यायालय ग्यारहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा (श्री दिलीप सिंह) के न्यायालय से	अटैच, नजारत अनुभाग, रीवा	
5	श्री शांतधर पटेल, भृत्य	बंगला भृत्य, न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय से	अटैच, नजारत अनुभाग, रीवा	

नोट :- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



21/1/25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0

पृ. क्रमांक. २९९ /
दो-११-०१ / २००४ (भाग-२).

रीवा, दिनांक २१ जनवरी, २०२५

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी नज़ारत अनुभाग / कार्यालय अनुभाग रीवा।
2. न्यायालय द्वितीय / ग्यारहवें / सोलहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा।
3. स्टेनो टू माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संबंधित कर्मचारीकी ओर
सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
5. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की
प्रति जिला न्यायालय रीवा की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. डी०एस०ए० / एस०ए० कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति
एच.आर.एम.एस. / ई.आर.पी. साफ्टवेयर में प्रविष्टि किये जाने हेतु प्रेषित।
7. लेखापाल / देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म०प्र०